

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी / प्रभारित है, जिसका भौतिक कब्जा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकृत अधिकारी (सुरक्षित लेनदारों) द्वारा लिया गया है, 20.03.2023 को उधारकर्ताओं और गारंटर (ओं) से सुरक्षित लेनदारों की बकाया राशि की वसूली के लिए, "जहां है", "जैसा है" और "जो कुछ भी है" आधार पर विक्रय किया जाएगा। है। आरक्षित मूल्य और अग्रिम राशि जमा संबंधित संपत्तियों के विवरण के साथ प्रदर्शित की जाती है।

अचल संपत्तियों का विवरण

| क्र. सं. | शाखा का नाम और शाप्र/ अधिकृत अधिकारी का संपर्क | उधारकर्ता(ओं) /मालिक/ और गारंटर(ओं) का नाम | अचल संपत्ति का विवरण | मांग नोटिस दिनांक और देय राशि | आरक्षित मूल्य ईएमडी बोली वृद्धि राशि |
|----------|---|--|---|---|--|
| 1 | वाघोडिया रोड वडोदरा शाप्र : श्री ओपी सोनी मोबा: 89800 15794 एओ: श्री राहुल सिंघल मोबा : 89800 15767 | उधारकर्ता/ मालिक: श्रीमती दीपाली प्रशांत पाटिल | आर.एस. नं.: 489,490,516,515,520,521, 517, ब्लॉक नंबर: 300,350,352,355/2,299, फ्लैट नंबर डी1-103, फर्स्ट फ्लोर, टॉवर डी, विंग 1, विस्टेरिया हाइट्स, बी/एस सिल्वर स्टोन रेजिडेंसी, ऑफ. डभोई-वाघोडिया रोड, ग्रा.-कपूरई वडोदरा एडमेजरिंग मेकरिंग बिल्ट अप एरिया: 1030 वर्ग फुट. सीमाबद्ध: पूर्व: टॉवर सी, पश्चिम: ओटीएस और फ्लैट नंबर 102 में कॉमन दीवार है, उत्तर: सामान्य मार्ग और सीढ़ियाँ और दक्षिण: ओटीएस और विंग -2, फ्लैट नंबर 104 में कॉमन दीवार है। | 17.07.2021 रु. 23,93,791/- + ब्याज और अन्य शुल्क के साथ | रु. 23,17,500/- - रु. 2,31,750/- रु. 25,000/- |
| 2 | करेलीबाग वडोदरा शाप्र और एओ: श्री योगेंद्र खत्री मोबा.: 99099 28866 | उधारकर्ता/ मालिक: मेसर्स सिगडी वेज रेस्तरां (श्री कौशिक बाबूभाई श्रीमाली - मालिक और बंधककर्ता, श्रीमती भावना के श्रीमाली - गारंटर और बंधककर्ता और श्री ऋषि कैलाशचंद्र अग्रवाल - गारंटर) | आवासीय फ्लैट ब्लॉक नंबर 46, टीपी नंबर 2, एफ.पी. नंबर 36, फ्लैट नंबर: 203, दूसरी मंजिल, "फॉर्च्यून ग्रीन फील्ड्स", नवरचना इंटरनेशनल स्कूल के सामने, भायली, वडोदरा 390007 निर्मित क्षेत्र: 572.21 वर्ग फुट सीमाबद्ध : पूर्व: मार्जिन स्पेस, पश्चिम: कॉमन स्पेस एंड लिफ्ट, उत्तर: मार्जिन स्पेस और दक्षिण: फ्लैट नंबर- 204 | 16.07.2021 रु. 57,87,505/- + ब्याज और अन्य शुल्क के साथ | रु. 25,10,100/- - रु. 2,51,010/- रु. 25,000/- |
| 3 | गोत्री रोड, वडोदरा बीएम: श्री प्राणेश कुमार मो. : 9726747667 एओ: विपिन गर्ग, मो.: 9166622588 | उधारकर्ता/स्वामी- श्री जिग्नेश प्रकाशचंद्र पंड्या | आवासीय फ्लैट नंबर: 401, चौथी मंजिल, श्री धनरत्न विला, विभाग ए, टीका नंबर 9/1, सीएस नंबर 49/2 एडीएम 46.40 वर्ग मीटर। खेडकर फलीयू, वाडी, वडोदरा | 06.12.2017 रु.12,86,551/- + ब्याज और अन्य शुल्क के साथ | रु. 8,80,000/- - रु.88,000/- रु. 10,000/- |
| 4 | तरसाली वडोदरा बीएम: श्री पंकज कुमार मो.: 7069396366 एओ: श्री राजेश | उधारकर्ता/ मालिक - श्री स्व.अरविंद देवमनभाई नीतवरे और उनके वैध उत्तराधिकारी श्रीमती जयश्री अरविंद नीतवरे | आवासीय फ्लैट नंबर 403, चौथी मंजिल, प्रेस्कॉट रेजिडेंसी कोट -5, सोमा तलाव क्रॉस रोड के पास, डभोई रिंग रोड, गांव: कपूरई, वडोदरा -390025 (आरएस नंबर 318/1 और 327, ब्लॉक नंबर 230 पर स्थित) | 03.06.2021 रु. 8,23,674/- + ब्याज और अन्य शुल्क के साथ | Rs रु. 10,32,000/- - रु.1,03,200/- |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| | श्रीवास्तव, मो. : 8980015780 | (पत्नी), मिस दिव्यानी अरविंदभाई नीतवरे (प्राकृतिक अभिभावकता के तहत नाबालिग बेटी) और मिस जानवी अरविंदभाई नीतवरे (प्राकृतिक अभिभावकता के तहत नाबालिग बेटी) | सीमाबद्ध : पूर्व में : प्रेस्कॉट रेजीडेंसी कोट 4, पश्चिम में : लोअर लेवल ओपन टेरेस कोट -5, उत्तर में : कोट -5, फ्लैट नंबर 402, दक्षिण में : कॉमन स्पेस और रेलवे स्टेशन | साथ. | रु.10,000/- |
| 5 | राजमहल रोड वडोदरा बीएम और एओ: श्री नरोत्तम शर्मा मो. : 7574817481 8980015777 | उधारकर्ता / मालिक - श्री अलेनाबी इब्राहिम पठान | आरएस नंबर 783, सी. एस. नंबर: 3003, शीट नंबर: 235 पी, प्लॉट नंबर: 6, फ्लैट नंबर: 301 (तीसरी मंजिल), "ख्वाजा उस्मान फ्लैट", हाथीखाना फ्लैट्स के पीछे, माजिद नबील अपाटमेंट के पास, फतेहपुरा, वडोदरा मापित क्षेत्र कार्पेट एरिया: 365 वर्ग फीट और सुपर बिल्ड अप एरिया 524 वर्ग फीट। सीमाबद्ध: पूर्व: मार्जिन की खुली जगह पश्चिम: फ्लैट नंबर: 302 उत्तर: कॉमन पैसेज/सीढ़ी और फ्लैट नंबर 307 दक्षिण: आंतरिक स्ट्रीट रोड | 30.07.2018 रु.10,23,996.00 /- + ब्याज और अन्य शुल्क के साथ. | रु. 9,34,200/- - रु. 93,420/- रु. 10,000/- |
| 6 | राजमहल रोड वडोदरा बीएम और एओ: श्री नरोत्तम शर्मा मो. : 7574817481 8980015777 | उधारकर्ता/मालिक- श्री सचिन अरुणभाई त्रिवेदी | टिक्का नंबर: 4/1, सीएस नंबर 133/1, 133/2, विभाग-ए, आवासीय फ्लैट नंबर- 302, श्री पिठेश्वरी कृपा -2, श्री महालक्ष्मी मार्काटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लालाभाई नो खांचो, महादेव मंदिर के पास, न्यू लहरीपुरा रोड, सुल्तानपुरा, वडोदरा - 390001 मापित क्षेत्र कार्पेट एरिया: 360 वर्ग फुट और सुपर बिल्ड अप एरिया: 449 वर्ग फुट। निम्नानुसार सीमाबद्ध हैं: पूर्व: कॉमन पैसेज/सीढ़ी और फ्लैट नंबर 301; पश्चिम: ओ.टी.एस. और फुवा फलिया रोड; उत्तर: नितिनभाई की निकटवर्ती संपत्ति दक्षिण : राजेशभाई पारिख की निकटवर्ती संपत्ति | 05.05.2018 रु. 18,07,214/- + ब्याज और अन्य शुल्क के साथ. | रु. 8,10,000/- - रु. 81,000/- रु. 10,000/- |
| 7 | नसवाड़ी शाप्र. : श्री राकेश पंवार मो : 8980015782 एओ: श्री ब्रजेश कुमार तिवारी मो. : 8980015777 | उधारकर्ता/मालिक- सुश्री रेखाबेन संजयभाई भील | आवासीय भवन स्थित है. आर एस नंबर 135, प्लॉट नंबर ए -88, सरकार रेजीडेंसी, दादा ना बगिचा के अपोजिट, नसवाड़ी एवं पीओ: नसवाड़ी, जिला: छोटोउदपुर -391150 एडीएम 44.65 वर्ग मीटर. (लगभग।) पूर्व में सीमाबद्ध: सोसाइटी रोड पश्चिम से घिरा: प्लॉट नंबर ए-85 उत्तर से घिरा: प्लॉट नंबर ए-89 दक्षिण से घिरा: प्लॉट नंबर-ए-87 | 11.01.2022 रु. 10,60,913/- + ब्याज और अन्य शुल्क के साथ. | रु. 7,15,700/- रु. 71,570/- रु. 10,000/- |
| 8 | नसवाड़ी शाप्र. : श्री राकेश पंवार मो : 8980015782 एओ: श्री ब्रजेश कुमार | उधारकर्ता/मालिक- सुश्री ताराबेन दिक्षितकुमार तड़वी | आवासीय भवन स्थित है आर एस नंबर 135, प्लॉट नंबर ए -82, सरकार रेजीडेंसी, दादा ना बगिचा के अपोजिट, नसवाड़ी एवं पीओ: नसवाड़ी, जिला: छोटोउदपुर -391150 एडीएम 44.65 वर्ग मीटर। (लगभग।) | 01.11.2019 रु. 8,92,675/- + ब्याज और अन्य शुल्क के साथ. | रु. 7,15,700/- रु. 71,570/- रु. 10,000/- |

| | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|
| तिवारी मो. : 8980015777 | | पूर्व से घिरा: प्लॉट नंबर ए-83 पश्चिम से घिरा: प्लॉट नंबर ए-81 उत्तर की ओर से घिरा: प्लॉट नंबर ए-95 दक्षिण में सीमा: सोसाइटी रोड | | |
|----------------------------|--|---|--|--|

1) संपत्ति निरीक्षण तिथि और समय: 13/03/2023 सुबह 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे के बीच.

2) इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी के बंद होने से पहले एमएसटीसी के साथ प्री-बिड ईएमडी जमा कर सकते हैं। एमएसटीसी के बैंक खाते में भुगतान प्राप्त होने और ई-नीलामी वेबसाइट में इस तरह की जानकारी को अपडेट करने के बाद ही बोली-पूर्व ईएमडी का क्रेडिट बोलीदाता को दिया जाएगा। बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार इसमें कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की किसी भी समस्या से बचने के लिए बोली पूर्व ईएमडी राशि अग्रिम रूप से जमा करें।

3) ई-नीलामी की तिथि और समय: 20/03/2023 दोपहर 12:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक (समापन से पहले अंतिम दस मिनट में बोली के मामले में ऑटो विस्तार खंड के साथ), नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता "<https://www.mstcecommerce.com>" के माध्यम से आयोजित की जाएगी, अधिक जानकारी, नियम और शर्तों के लिए, इच्छुक बोलीदाता पर हमारे बैंक की वेबसाइट <https://www.centralbankofindia.co.in> और <https://www.ibapi.in> पर जा सकते हैं और ई-नीलामी पोर्टल में भागीदारी के लिए बोली <https://www.mstcecommerce.com> **auctionhome/ibapi** पर प्रस्तुत कर सकते हैं। इच्छुक बोलीदाता जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे **www.mstcecommerce.com** को उनके सेंट्रल हेल्पडेस्क नंबर **033-22901004** पर संपर्क कर सकते हैं या संपर्क: आर ओ बड़ौदा, अधिकृत अधिकारी: **0265-2414472** पर संपर्क कर सकते हैं.

नीलामी बिक्री "जहां है, जो है, जो जैसा है," आधार पर आयोजित की जाती है। बैंक को किसी भी लंबित प्रभार, कर आदि के बारे में जानकारी नहीं है। खरीदार इसे सत्यापित करने के लिए बाध्य हैं और, यदि कोई है, तो इसे वहन करना होगा।

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री नोटिस

उधारकर्ता/गारंटर/ बंधककर्ता को सुरक्षित लेनदार की बकाया देय राशि की वसूली के लिए अचल/चल सुरक्षित संपत्ति की बिक्री के लिए अधिसूचित किया जाता है।

दिनांक: 04/03/2023

स्थान: वडोदरा

अधिकृत अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय,

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वडोदरा.

ई-नीलामी हेतु नियम और शर्तें

01. ई-नीलामी "जैसा है जहां है" और "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर आयोजित की जा रही है।

02. ई-नीलामी पोर्टल <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibpi/index.jsp> के माध्यम से 20/03/2023 को 12:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक 10 मिनट के ऑटो एक्सटेंशन के साथ होगी, तिथि एवं निरीक्षण का समय 13/03/2023 प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक.

03. अधिक विवरण, प्रक्रिया अनुपालन और नियम व शर्तें डाउनलोड करने के लिए, कृपया देखें: ए. <https://www.centralbankofindia.co.in>, बी. हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट का पता <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibpi/index.jsp>. बोलीकर्ता <https://www.ibapi.in> या <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibpi/index.jsp> पर जा सकते हैं, जहां शैक्षिक वीडियो के साथ बोलीदाताओं के लिए "दिशानिर्देश" उपलब्ध हैं। बोलीदाताओं को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पहले ही पूरा करना होगा:

चरण 1: बोलीदाता/क्रिया पंजीकरण: बोलीदाताओं को अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके ई-नीलामी प्लेटफॉर्म (ऊपर दिए गए लिंक) पर पंजीकरण करना होगा।

चरण 2: केवाईसी सत्यापन बोलीदाताओं को अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाएगा (2 कार्य दिवस लग सकते हैं।)

चरण 3: ईएमडी राशि का बोलीदाता के ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में स्थानांतरण: ई-नीलामी प्लेटफॉर्म पर उत्पन्न चालान का उपयोग करके एनईएफटी/राशि अंतरण द्वारा ऑनलाइन/ऑफ-लाइन निधि का अंतरण।

चरण 4: बोली प्रक्रिया और नीलामी परिणाम: इच्छुक पंजीकृत बोलीदाता चरण 1, 2 और 3 को पूरा करने के बाद ऑनलाइन ई-नीलामी प्लेटफॉर्म पर बोली लगा सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि चरण 1 से चरण 3 तक बोलीदाताओं द्वारा ई-नीलामी तिथि से काफी पहले ही पूरा कर लिया जाना चाहिए।

04. ई-नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (<https://www.mstcecommerce.com>) हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय 225-सी, एजेसी बोस रोड, कोलकाता-700020 में है। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com> पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। बिक्री के सामान्य नियमों और शर्तों वाली बिक्री सूचना बैंक की वेबसाइटों/वेबपेज पोर्टल पर उपलब्ध/प्रकाशित है। <https://www.centralbankofindia.co.in>, <https://ibapi.in> और <http://www.mstcecommerce.com> ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी ई-नीलामी से संबंधित बिक्री सूचना, ई-नीलामी के नियम एवं शर्तों की प्रतियां, ई-नीलामी के परिचालन भाग पर हेल्प मैनुअल ई-बिक्रय-आईबीएपीआई पोर्टल से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। <https://www.ibapi.in>)। इच्छुक बोलीकर्ता जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे अपने केंद्रीय हेल्पडेस्क नंबर 033-22901004 पर www.mstcecommerce.com पर संपर्क कर सकते हैं।

05. इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को नीलामी के समय से काफी पहले अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को स्थानांतरित करना होगा। ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ईएमडी राशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, सिस्टम बोली लगाने की अनुमति नहीं देगा। नीलामी से पहले पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन और बटुए में ईएमडी का हस्तांतरण अग्रिम रूप से पूरा किया जाना चाहिए। बोलीदाता या तो एक या सभी संपत्तियों के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं। अपने वॉलेट में पर्याप्त ईएमडी होने के बाद ही इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी की तारीख पर बोली लगा सकेगा। बिडर के ग्लोबल वॉलेट में बिडिंग के समय पर्याप्त बैलेंस (\geq ईएमडी राशि) होना चाहिए। एक से अधिक संपत्ति के प्रस्ताव के मामले में बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति के लिए ईएमडी जमा करना होगा।

06. बयाना राशि जमा (ईएमडी) राशि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ऑनलाइन यानी एनईएफटी/ट्रांसफर (<https://www.mstcecommerce.com> से चालान जनरेट होने के बाद) के माध्यम से बोलीदाताओं के ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में भुगतान किया जाएगा। एनईएफटी ट्रांसफर किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जा सकता है। ईएमडी का भुगतान चेक जैसे किसी अन्य तरीके से स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं को अपने वॉलेट में आवश्यक ईएमडी जमा नहीं करने पर ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जमा की गई बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। बयाना राशि जमा (ईएमडी) पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और असफल बोलीदाताओं की ईएमडी बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

07. संपत्ति प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य से नीचे उद्धृत बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा। बोली लगाने वालों को सार्वजनिक बिक्री सूचना/बिक्री के नियमों और शर्तों में निर्दिष्ट राशि के गुणकों में अपनी बोलियां बढ़ानी होंगी।

अंतिम पांच मिनट में बोली प्राप्त होने की स्थिति में 05 मिनट का असीमित समय विस्तार दिया जाएगा। बोली लगाने वालों को लगातार ऊंची बोली लगाने के लिए पांच मिनट का समय दिया जाएगा और यदि अंतिम उच्चतम बोली के दस मिनट की समाप्ति के बाद किसी भी बोलीदाता द्वारा कोई ऊंची बोली पेश नहीं की जाती है, तो ई-नीलामी बंद कर दी

08. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना के अनुसार, संपत्तियों पर कोई भार ज्ञात नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले भार, नीलामी के लिए रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के शीर्षक और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/देयताओं/संपत्ति के बारे में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन से बैंक की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं बनता है और न ही इसे माना जाएगा। संपत्ति को बैंक को ज्ञात या अज्ञात सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी/सिक्योरिटी क्रेडिटर किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा

09. बोली प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति और विशिष्टताओं के बारे में निरीक्षण और स्वयं को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी। नीलामी के लिए रखी गई संपत्ति/यों का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति विवरण के सामने उल्लेखित साइटों पर करने की अनुमति दी जाएगी।

10. ऑनलाइन इंटर-से बिडिंग के दौरान, बोलीदाता अपनी बोली राशि को 'बोली वृद्धि राशि' (ऊपर उल्लिखित) या इसके गुणक के अनुसार बढ़ा सकते हैं और यदि बोली ई-नीलामी के समापन समय के अंतिम 10 मिनट के दौरान रखी जाती है, बंद करने का समय स्वतः 05 मिनट (ई-नीलामी प्रक्रिया के बंद होने तक हर बार) के लिए बढ़ जाएगा, अन्यथा यह स्वतः बंद हो जाएगा। ई-नीलामी प्रक्रिया के बंद होने पर उच्चतम बोली राशि (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) जमा करने वाले बोलीकर्ता को आवश्यक सत्यापन के बाद प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार द्वारा सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा।

11. सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य का 25% जमा करना होगा, पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करना, उसी दिन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के बाद अगले कार्य दिवस के बाद नहीं और बिक्री मूल्य का शेष 75% बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो लिखित रूप में सहमत हो और पूरी तरह से प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर हो। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक के मामले में, बोलीदाता द्वारा पहले से जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से नीलामी के लिए रखा जाएगा और चूककर्ता उधारकर्ता का संपत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

12. क्रेता लागू स्टाम्प शुल्क/अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क/स्थानांतरण शुल्क, शुल्क आदि का वहन करेगा और किसी को देय सभी वैधानिक/गैर-सांविधिक बकाया, कर, दरें, मूल्यांकन शुल्क, शुल्क आदि भी वहन करेगा

13. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को स्थगित/स्थगित/रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।

14. समस्त विक्रय प्रतिफल प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार विक्रय प्रमाण पत्र जारी करेगा। क्रेता स्टाम्प शुल्क, बिक्री प्रमाण पत्र, पंजीकरण शुल्क, सरकार/किसी प्राधिकरण को देय सभी वैधानिक देय राशि, कर, जीएसटी और संपत्तियों से संबंधित मौजूदा और भविष्य दोनों की दरों और आउटगोइंग सहित वहन करेगा। बिक्री प्रमाणपत्र में बोली में उल्लिखित नामों के अलावा अन्य नामों को शामिल करने/प्रतिस्थापन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिक्री प्रमाणपत्र केवल सफल बोली लगाने वाले के नाम पर जारी किया जाएगा।

15. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक के पास किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित/स्थगित/रद्द करने/बिक्री के किसी भी नियम और शर्तों को बिना किसी पूर्व सूचना के संशोधित करने और बिना कोई कारण बताए अगले उच्चतम बोली लगाने वाले को प्रदर्शन करने के लिए बुलाने का पूर्ण अधिकार है। यदि पहले बोली लगाने वाला प्रदर्शन करने में विफल रहता है।

16. संपत्ति "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेची जा रही है और इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी स्वयं की विवेकपूर्ण स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए और संबंधित रजिस्ट्रार/एसआरओ/राजस्व रिकॉर्ड/अन्य वैधानिक को सत्यापित करना चाहिए। बिक्री कर, उत्पाद शुल्क/जीएसटी/आयकर जैसे किसी भी प्राधिकरण के भार और दावों/अधिकारों/देयताओं/प्रभारों के बारे में बैंक के प्रभार के अलावा प्राधिकरण और शीर्षक प्रकृति, विवरण, सीमा, गुणवत्ता, मात्रा, स्थिति के बारे में खुद को संतुष्ट करेंगे। अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति पर भार, ग्रहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक बकाया आदि। ई-नीलामी विज्ञापन से बैंक की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं बनता है और न ही इसे माना जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी/सिक्योरिटी क्रेडिटर किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाया राशि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा, जो ऊपर उल्लिखित (यदि कोई हो) के अलावा हो। ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के बाद बिक्री शुल्क/संपत्ति पर भार या किसी अन्य मामले आदि के लिए रखी गई संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

17. बिक्री के लिए प्रस्तावित संपत्ति के संबंध में या बकाया जल/सेवा शुल्क, स्थानांतरण शुल्क, बिजली बकाया, नगर निगम/स्थानीय बकाया जैसे किसी भी बकाया के लिए बैंक किसी भी अनुमति/लाइसेंस, एनओसी आदि की खरीद के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्राधिकरण / सहकारी हाउसिंग सोसाइटी या कोई अन्य बकाया, कर, लेवी, शुल्क, हस्तांतरण शुल्क यदि कोई उक्त संपत्ति की बिक्री के संबंध में और / या के संबंध में है।

सफल बोलीदाता को संपत्ति की खरीद के संबंध में आयकर के प्रावधानों का पालन करना होगा और लागू दरों के अनुसार अधिकारियों को कर का भुगतान करना होगा।

18. बोलीदाताओं को ई नीलामी में अपनी बोली प्रस्तुत करने एवं भाग लेने से पूर्व एमएसटीसी के वेब पोर्टल <https://www.mstcecommerce.com> और www.centralbankofindia.co.in पर उपलब्ध ई-नीलामी के विस्तृत नियमों और शर्तों को पढ़ने की सलाह दी जाती है।

19. बोलीदाताओं के स्वयं के हित में अंतिम क्षण में बोली लगाने से बचना चाहिए क्योंकि न तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और न ही सेवा प्रदाता किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता/बिजली विफलता आदि) के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थितियों से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं / विकल्प जैसे कि बिजली आपूर्ति बैंक-अप आदि करें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

20. बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है।

21. इच्छुक क्रेता उपरोक्त वर्णित तिथि एवं समय पर अपने व्यय पर संपत्ति का निरीक्षण कर सकता है। शीर्षक दस्तावेज़ और बैंक के पास उपलब्ध अन्य दस्तावेज़ों के निरीक्षण के लिए, इच्छुक बोलीकर्ता कार्यालय समय के दौरान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से संपर्क कर सकते हैं।

22. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें - सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, बड़ौदा श्री विपिन गर्ग, मुख्य प्रबंधक (मोबा.) +0265-2414472

| |
|---|
| सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री सूचना |
|---|

दिनांक : 04/03/2023

प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : बड़ौदा